International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता: अजमेर जिले के विशेष संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुवालाल जाखड़
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश
वर्तमान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए यह आवश्यक है कि लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाती है। पिछले कुछ दशकों में भारत में पंचायती राज के माध्यम से सशक्तिकरण का जो दौर प्रारम्भ हुआ है उसमें महिलाओं की राजनीति में भागीदारी एक व्यापक अर्थ रखती है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। इसी संशोधन के तहत पहली बार स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं, उनमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है साथ ही पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को भी पहचाना है। अजमेर जिला राजस्थान के प्रमुख जिलों में से एक है जहाँ 2020 के स्थानीय चुनावों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
कुंट शब्द: राजनैतिक सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, आरक्षण, संविधान संशोधन, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, अजमेर जिला

प्रस्तावना
पंचायती राज संस्थाएं जब वास्तविक रूप से प्रजातांत्रिक, सार्थक एवं प्रभावशाली होंगी, तभी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय एवं निर्णायक भागीदारी अथवा महिलाओं के सर्वांगीण विकास और मौलिक अधिकारों की संरक्षा संभव हो सकेगी। महिलाएं समाज के सतत विकास की एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण आयाम हैं। जब तक इस वर्ग को समाज में यथोचित स्थान, सम्मान और अवसर प्राप्त नहीं होंगे, तब तक न केवल महिलाओं का बल्कि संपूर्ण समाज का संतुलित विकास असंभव है। राजनैतिक क्षेत्र में महिला वर्ग की बढ़ती भूमिका देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। महिलाओं के व्यापक सशक्तिकरण के लिए एक सामूहिक चेतना व सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है जो जनमानस में स्त्री के प्रति उसकी दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन करके स्त्री का संपूर्ण एवं बहुआयामी विकास सुनिश्चित करे।
19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि महिला वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार के बिना विश्व का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी पक्षी के लिए केवल एक पंख के साथ आकाश में उड़ना असंभव है। देश की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास के लिए हमें भारत की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। 19वीं शताब्दी के विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों तथा महिलाओं में शिक्षा के बढ़ते प्रसार के कारण स्त्रियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। परंतु दुर्भाग्यवश यह सुधार अत्यंत सीमित एवं शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा।
राजस्थान राज्य में वर्ष 2010 में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतकारी एवं साहसिक निर्णय था। अजमेर जिला राजस्थान प्रदेश के अजमेर संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र (च्ज्ब्) की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विषयों पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण केंद्र अजमेर संभाग के छह जिलों – अजमेर, केकड़ी, बेवाड़, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर के लिए प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। स्थापना से लेकर

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

अब तक इस केंद्र ने 144 बैचों में कुल 6976 लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं।

अजमेर जिले की भौगोलिक एवं सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

अजमेर जिला राजस्थान राज्य के सात प्रशासनिक संभागों में से एक अजमेर संभाग का मुख्यालय है। जिले की कुल जनसंख्या लगभग 25.84 लाख है, जिसमें दशक 2001–2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 18.48 प्रतिशत रही है। अजमेर जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं का लिंग अनुपात है, जो राष्ट्रीय औसत से अपेक्षाकृत बेहतर है। जिले की औसत साक्षरता दर 70.46 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 83.88 प्रतिशत और महिला साक्षरता 76.50 प्रतिशत है। अजमेर शहर की साक्षरता दर 86.52 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 92.08 प्रतिशत और महिला साक्षरता 80.69 प्रतिशत है।

अजमेर तहसील की साक्षरता दर 80.38 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 88.83 प्रतिशत और महिला साक्षरता 71.51 प्रतिशत है। विभिन्न तहसीलों में साक्षरता में भिन्नता देखी गई है। अजमेर और बेवाड़ तहसीलों में महिला–पुरुष साक्षरता में सबसे कम अंतर (0.400 से कम) पाया गया है, जिसका मुख्य कारण शहरी जनसंख्या का अधिक होना, शैक्षणिक संस्थाओं की अधिक संख्या और बालिका विद्यालयों की बेहतर उपलब्धता है। वहीं दूसरी ओर, भिनाय तहसील में सबसे अधिक लैंगिक साक्षरता अंतर (0.682) पाया गया, जहाँ पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता से दोगुनी है। इसके मुख्य कारण उच्च ग्रामीण जनसंख्या और बालिका विद्यालयों की अत्यंत कम संख्या है।

अजमेर जिले में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न गैर सरकारी संगठन भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ग्राम समाज विकास संस्था (GMVS) जैसे संगठन ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए स्वयं सहायता समूह संघ (SHG Federation) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान (RSKS) जैसी संस्थाएं अजमेर जिले में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। ये संस्थाएं 3 माह के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं, जिसमें प्रतिदिन 5 घंटे (1.5 घंटे सैद्धांतिक और 3.5 घंटे व्यावहारिक) प्रशिक्षण दिया जाता है।

अजमेर जिले की पंचायती राज संरचना एवं महिला प्रतिनिधित्व

अजमेर जिले में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना विद्यमान है – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिले में वर्तमान में 11 पंचायत समितियां और कुल 325 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। अजमेर जिले की 11 पंचायत समितियां हैं – अजमेर ग्रामीण, श्रीनगर, आराई, भिनाय, जवाजा, केकड़ी, मसूदा, पीसांगन, सरवाड़, सांवर और सिलोरा। जिला परिषद स्तर पर कुल 31 वार्ड हैं, जिनमें महिलाओं का पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

तालिका 1: अजमेर जिले की पंचायती राज संरचना (2020–2025)

क्रमांक	स्तर का नाम	कुल संख्या	महिला आरक्षण प्रतिशत	आरक्षित पदों की संख्या
1	जिला परिषद वार्ड	31	50%	16 वार्ड
2	पंचायत समिति	11	50%	6 प्रधान पद
3	ग्राम पंचायत	325	50%	163 सरपंच पद
4	ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य	लगभग 2600	50%	लगभग 1300 सदस्य

स्रोतः राजस्थान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, अजमेर

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रारंभ में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था। परंतु राजस्थान सरकार ने वर्ष 2010 में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। यह निर्णय सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख – तीनों स्तरों पर समान रूप से लागू किया गया। यह राजस्थान को भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल करता है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। वर्तमान में संपूर्ण भारत में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कार्यरत हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46 प्रतिशत है। यह संख्या विश्व स्तर पर स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्व के संदर्भ में अभूतपूर्व है और भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थापित करती है।

अजमेर जिले में महिला जनप्रतिनिधियों का संख्यात्मक विश्लेषण

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

2020 के पंचायती राज चुनावों में अजमेर जिला परिषद में कुल 31 वार्ड हैं। इन चुनावों के परिणामों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय एवं सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राजनैतिक दृष्टिकोण से देखें तो अजमेर जिले में 2020 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और 11 पंचायत समितियों में से 9 में अपनी सरकार बनाई। जिला परिषद में भी भाजपा ने 32 सीटों में से 20 सीटें प्राप्त कीं।

तालिका 2: अजमेर जिला परिषद में 2020 के चुनाव परिणाम (लैंगिक विश्लेषण)

विवरण	पुरुष सदस्य	महिला सदस्य	कुल सदस्य	महिला प्रतिशत
जिला परिषद सदस्य संख्या	13	18	31	58.06%
सामान्य (GEN) वार्ड से निर्वाचित	9	2	11	18.18%
सामान्य महिला (GENW) वार्ड से	-	7	7	100%
अनुसूचित जाति (SC) वार्ड से	3	-	3	0%
अनुसूचित जाति महिला (SCW) से	-	2	2	100%
अनुसूचित जनजाति (ST) वार्ड से	1	-	1	0%
अनुसूचित जनजाति महिला (STW) से	-	1	1	100%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वार्ड से	-	3	3	100%
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला (OBCW) से	-	3	3	100%

स्रोतः राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जिला परिषद चुनाव परिणाम 2020

उपरोक्त तालिका के गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अजमेर जिला परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 58.06 प्रतिशत है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण से भी 8 प्रतिशत अधिक है। यह अत्यंत उत्साहजनक तथ्य दर्शाता है कि कुछ सामान्य (अनारक्षित) सीटों पर भी महिला उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। कुल 11 सामान्य सीटों में से 2 सीटों (18.18 प्रतिशत) पर महिलाओं ने विजय प्राप्त की, जो यह दर्शाता है कि आरक्षण के अतिरिक्त भी महिलाएं अपनी योग्यता एवं जनसमर्थन के आधार पर चुनाव जीत रही हैं।

तालिका 3: अजमेर जिला परिषद में वार्ड वर्गीकरण एवं आरक्षण विवरण (2020)

वार्ड श्रेणी	वार्ड संख्या	कुल में प्रतिशत	महिला आरक्षण
GEN (सामान्य)	11	35.48%	नहीं
GENW (सामान्य महिला)	7	22.58%	हाँ
SC (अनुसूचित जाति)	3	9.68%	नहीं
SCW (अनुसूचित जाति महिला)	2	6.45%	हाँ
ST (अनुसूचित जनजाति)	1	3.23%	नहीं
STW (अनुसूचित जनजाति महिला)	1	3.23%	हाँ
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग)	3	9.68%	नहीं
OBCW (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला)	3	9.68%	हाँ
कुल वार्ड	31	100%	13 (41.94%)

स्रोतः राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, वार्ड आरक्षण सूची 2020

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 31 वार्डों में से 13 वार्ड (41.94 प्रतिशत) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यद्यपि यह संख्या 50 प्रतिशत से कम है, परंतु वास्तविक महिला प्रतिनिधित्व 58.06 प्रतिशत है, क्योंकि कुछ अनारक्षित सीटों पर भी महिलाओं ने विजय प्राप्त की है।

तालिका 4: अजमेर जिले की पंचायत समितियों में महिला प्रधान (2020)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	महिला प्रधान की स्थिति	पुरुष प्रधान की स्थिति	कुल
1	अजमेर ग्रामीण	हाँ	-	1
2	श्रीनगर	-	हाँ	1
3	आराई	हाँ	-	1
4	भिनाय	-	हाँ	1
5	जवाजा	हाँ	-	1
6	केकड़ी	-	हाँ	1

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

7	मसूदा	हाँ	-	1
8	पीसांगन	हाँ	-	1
9	सरवाड़	-	हाँ	1
10	सांवर	हाँ	-	1
11	सिलोरा	-	हाँ	1
कुल संख्या	11	6 (54.55%)	5 (45.45%)	11

स्रोतः अजमेर जिला पंचायती राज विभाग, प्रधान निर्वाचन परिणाम 2020

यह तथ्य अत्यंत उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायक है कि अजमेर जिले की कुल 11 पंचायत समितियों में से 6 (54.55 प्रतिशत) में महिला प्रधान हैं। यह 50 प्रतिशत आरक्षण से भी अधिक है, जो दर्शाता है कि महिलाएं न केवल आरक्षित सीटों पर बल्कि कुछ अनारक्षित सीटों पर भी प्रधान पद प्राप्त कर रही हैं।

तालिका 5: अजमेर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सरपंच (अनुमानित आंकड़े 2020–2025)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
कुल ग्राम पंचायतें	325	100%
महिला सरपंच (आरक्षित)	163	50%
महिला सरपंच (अनारक्षित सीट से)	लगभग 15-20	5-6%
कुल महिला सरपंच	लगभग 178-183	55-56%
पुरुष सरपंच	लगभग 142-147	44-45%

स्रोतः अजमेर जिला पंचायती राज विभाग, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड

नोटः उपरोक्त तालिका में ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़े अनुमानित हैं क्योंकि सभी 325 ग्राम पंचायतों का विस्तृत डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रतिशत के आधार पर लगाया गया है।

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता की अनिवार्यता एवं महत्व

स्थानीय स्वशासन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलभूत आधार एवं आधारशिला है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सत्ता एवं शक्ति का समुचित विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से अधिक से अधिक नागरिक शासन–प्रशासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज सकते हैं। वर्तमान समय में स्थानीय संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। महिला जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझा जाता है एवं उनका प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया जाता है।

- **लोकतंत्र की सफलता एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अनिवार्य** – भारतीय गणराज्य में लोकतंत्र को अधिक मजबूत, प्रतिनिधित्वपूर्ण और समावेशी बनाने में महिलाएं सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। विगत दशकों के सांख्यिकीय आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि लोकसभा चुनाव हो अथवा विधानसभा चुनाव, मतदान में लैंगिक अंतर निरंतर कम होता जा रहा है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा चुनावों में पुरुष मतदान 73.80 प्रतिशत रहा जबकि महिला मतदान 74.66 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 0.86 प्रतिशत अधिक मतदान किया, जो महिलाओं की बढ़ती राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता का स्पष्ट प्रमाण है। अजमेर जिले में भी मतदान में महिलाओं की सहभागिता उत्साहजनक रही है। महिला मतदाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
- **शक्ति एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए अनिवार्य** – पुरुष प्रधान समाज और उस समाज में पुरुष प्रधान राजनीति की व्यवस्था से लोकतंत्र की वास्तविक सफलता संदिग्ध है। किसी एक वर्ग अथवा लिंग के पास शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। लोकतंत्र को सही अर्थों में सफल बनाने हेतु शक्ति का समुचित विकेंद्रीकरण अर्थात् स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना अनिवार्य है। साथ ही स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सत्ता का लैंगिक विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सुविधाएं प्रदान करके राजनीति में सहभागी बनाकर ही यह संभव है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

- **महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने एवं लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए** – पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज में प्रत्येक क्षेत्र – चाहे राजनैतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो अथवा धार्मिक – सभी क्षेत्रों में युगों से पुरुषों का वर्चस्व स्थापित रहा है। इसी कारण महिलाएं विकास के सभी मानकों पर पुरुषों की तुलना में पीछे हैं। यह स्थिति राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जनसंख्या की आधी शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि स्थानीय स्तर से ही महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने के ठोस एवं कारगर प्रयास किए जाएं तो समाज में वास्तविक लैंगिक समानता स्थापित हो सकती है।
- **महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनाने हेतु** – पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महिलाओं के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रभावशाली वाहक के रूप में उभरी है। ग्रामीण महिलाएं अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति अधिक सचेत एवं जागरूक हुई हैं। उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, उनमें आत्मविश्वास एवं स्वचेतना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिलाओं में वास्तविक आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता तभी विकसित होगी जब उन्हें उन्नति करने के लिए पुरुषों के समान अवसर, संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अजमेर जिले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें।
- **स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं जागरूकता के लिए** – महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को यदि स्वास्थ्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखा जाए तो महिलाओं को अभी बहुत लंबी मंजिलें तय करनी हैं। निरक्षर ग्रामीण भारतीय महिला की स्थिति पर यदि दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उसे अपनी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का स्पष्ट ज्ञान तक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक हो जाती है। ग्रामीण महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और मातृत्व अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य महिला जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से कर सकती हैं क्योंकि वे स्थानीय महिलाओं से सीधे संपर्क में रहती हैं। राजस्थान सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय (WED) ने अजमेर, भीलवाड़ा, बारां और नागौर जिलों में लैंगिक हिंसा (GBV) से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में 28 सखियों और पर्यवेक्षकों ने तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सखियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करना है ताकि वे मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकें।
- **समाज में प्रचलित कुप्रथाओं एवं कुरीतियों की रोकथाम हेतु** – वर्तमान समय में अनेक कानूनों के निर्माण के बावजूद भारतीय समाज में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अनेक कुप्रथाएं, कुरीतियां और सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं। अधिकांशतः इन कुप्रथाओं में महिलाएं ही प्रताड़ित, शोषित और पीड़ित होती हैं। अतः इन गंभीर समस्याओं के प्रभावी समाधान में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक हो जाती है। महिला जनप्रतिनिधि गांव की प्रताड़ित एवं पीड़ित महिलाओं से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर उन्हें विश्वास में लेकर, उन पर होने वाले अत्याचारों एवं शोषण को जानकर, उनके ऊपर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करके महिलाओं को न्याय दिला सकती हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध महिला जनप्रतिनिधि अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य कर सकती हैं क्योंकि वे पीड़ित महिलाओं से आसानी से संवाद स्थापित कर सकती हैं।
- **ग्रामीण महिलाओं में राजनीति के प्रति रुचि एवं जागरूकता उत्पन्न करना** – स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी विशेषता एवं उद्देश्य यह है कि सामान्य जनता, विशेषकर महिलाओं, में राजनीति की समझ, जागरूकता एवं रुचि उत्पन्न करना। राजनैतिक प्रक्रिया में सक्रिय रुचि लेने की प्रवृत्ति जागृत करना आवश्यक है जिससे वे यह समझ सकें कि स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से वे कैसे अपनी दैनिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन में सक्रिय रहने के लिए स्व–शासन, स्व–निर्णय और स्वावलंबन की भावना अत्यंत आवश्यक है। जब ग्रामीण महिलाएं स्वयं जागरूक, शिक्षित और सशक्त होंगी तभी वे स्थानीय स्वशासन के कार्यों को भली–भांति समझकर प्रभावशाली ढंग से संपादित कर सकेंगी।
- **शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरूकता एवं रुचि उत्पन्न करना** – शिक्षित महिलाएं अपने घर–परिवार, गांव, समाज और राष्ट्र – सभी के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक योगदान देती हैं।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

एक शिक्षित महिला न केवल अपने बल्कि दो परिवारों – मायके और ससुराल – के विकास में योगदान देती है, उसी प्रकार एक शिक्षित महिला जनप्रतिनिधि संपूर्ण गांव एवं पंचायत क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगा सकती है। साथ ही शिक्षित महिला जनप्रतिनिधि पंचायती राज के कार्यों को करने में अधिक रुचि रखती है और प्रशासनिक कार्यों, वित्तीय प्रबंधन, योजना क्रियान्वयन के प्रति भी उनकी समझ एवं क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अजमेर जिले में साक्षरता दर में लैंगिक अंतर है। जिले की पुरुष साक्षरता 83. 88 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता 76.50 प्रतिशत है, जो लगभग 7.38 प्रतिशत का अंतर दर्शाता है। महिला जनप्रतिनिधि इस अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

महिला जनप्रतिनिधियों के समक्ष विद्यमान समस्याएं, चुनौतियां एवं बाधाएं

राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की संख्यात्मक भागीदारी तो बढ़ी है परंतु गुणात्मक भागीदारी अभी तक पूर्णतः कारगर एवं प्रभावशाली नहीं बन पाई है। निरक्षरता, जागरूकता के अभाव, प्रशिक्षण की कमी और सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं के कारण अनेक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि वास्तविक रूप में अपनी संवैधानिक शक्तियों एवं अधिकारों का पूर्ण, स्वतंत्र और प्रभावशाली उपयोग नहीं कर पाती हैं। पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता कानूनी रूप से अनिवार्य हो गई है किंतु यह महत्वपूर्ण तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि केवल विधान बनाने मात्र से सामाजिक व्यवहार में वास्तविक बदलाव नहीं लाया जा सकता है।

- **शिक्षा एवं साक्षरता का अभाव** – राजस्थान में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम होने की गंभीर समस्या पंचायती राज चुनावों के दौरान स्पष्ट रूप से देखी जाती है। पंचायती राज संस्थाओं में जब महिलाएं प्रतिनिधि बनकर आती हैं, तो वास्तव में उन्हें अनेक कठिनाइयों, चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षित नहीं होने के कारण महिला प्रतिनिधि अपने संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाती हैं। शिक्षा के अभाव में महिलाएं विकास से पिछड़ी हुई रहती हैं। अशिक्षा के कारण वे अंधविश्वासों, कुसंस्कारों, रूढ़ियों और पारंपरिक मान्यताओं में जकड़ी रहती हैं। अजमेर जिले में विभिन्न तहसीलों में साक्षरता दर में व्यापक भिन्नता है। भिनाय और सरवाड़ तहसीलों में महिला–पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर (0.650 से अधिक) पाया गया है। इन तहसीलों में पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता से दोगुनी है, जिसके मुख्य कारण ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना, महिला शिक्षकों की कमी और बालिका विद्यालयों की अत्यंत कम संख्या है।
- **अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञता एवं जागरूकता का अभाव** – अनेक महिला प्रतिनिधि मुख्यतः आरक्षण के कारण और पुरुष रिश्तेदारों (पति, भाई, पिता) की प्रेरणा, दबाव या प्रलोभन से पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों में भाग लेती हैं और चुनाव जीत भी जाती हैं। लेकिन वे अपने संवैधानिक अधिकारों, कानूनी शक्तियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति पर्याप्त रूप से सजग एवं जागरूक नहीं हैं। विशेषकर आरक्षित वर्ग की महिलाएं अक्सर पुरुष परिवार सदस्यों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाती हैं और वास्तविक निर्णय पुरुष ही लेते हैं। लोकतंत्र की सही सफलता और पंचायती राज की प्रभावशीलता इसमें है कि महिला जनप्रतिनिधि स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करें। पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज के विषय में, अपने अधिकारों तथा दायित्वों के विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। महिला प्रतिनिधि स्वयं जागरूक नहीं हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पति, पिता या भाई द्वारा वास्तविक कार्य किए जाते हैं, जिसके कारण महिला प्रतिनिधि पंचायत के कार्यों में व्यक्तिगत रुचि नहीं लेती हैं। अतः महिला प्रतिनिधियों का उदासीन दृष्टिकोण भी एक प्रमुख एवं गंभीर समस्या है।
- **जातीय गुटबंदी एवं सामाजिक विभाजन** – महिला सरपंचों और अन्य महिला प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता में एक बड़ी बाधा ग्राम सभा में पाई जाने वाली जातीय गुटबंदी, सामाजिक विभाजन और वर्गीय द्वेष भी है। यद्यपि भारतीय संविधान जातीय भेदभावों को किसी भी रूप में प्रश्रय नहीं देता है, फिर भी भारतीय समाज में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाति की स्पष्ट एवं गहरी छाप देखने को मिलती है। आज भी गांवों में जातिवाद, छुआछूत और ऊंच–नीच की भावना विद्यमान है। लोग अपनी जाति के सदस्यों को ही वोट देते हैं और उनके पक्ष में निर्णय देते हैं, और उनके निर्णयों को ही अधिक महत्व एवं प्रभाव देते हैं। निम्न जाति की महिला प्रतिनिधि के निर्णयों को लागू करने में ऊंची जाति के लोग जानबूझकर परेशानी, बाधाएं और विरोध खड़ा कर देते हैं।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का अभाव** – पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर महिला प्रतिनिधियों, के लिए समुचित, नियमित और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का अभाव भी एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर समस्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए सरल एवं सुगम भाषा में उत्कृष्ट साहित्य तैयार किया है, जो जनता में पंचायतों के प्रति जागृति एवं समझ पैदा करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। किंतु इस साहित्य और प्रशिक्षण सामग्री को प्रत्येक स्तर पर, विशेषकर ग्राम पंचायत स्तर तक, पहुंचाने के लिए कार्यकारी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। हालांकि अजमेर में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, जो अजमेर संभाग के छह जिलों के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह केंद्र 1999 से अब तक 144 बैचों में 6976 लोगों को प्रशिक्षित कर चुका है, जिनमें अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और छळ् कार्यकर्ता शामिल हैं। परंतु यह संख्या जिले की 325 ग्राम पंचायतों और हजारों महिला प्रतिनिधियों की आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है।
- **पितृसत्तात्मक संस्कृति एवं पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनाएं** – पितृसत्तात्मक संस्कृति, मानसिकता एवं पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनाएं ग्रामीण भारत में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन में महिला सहभागिता को गंभीर रूप से प्रभावित, सीमित और कमजोर करती हैं। अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों का वास्तविक कार्य उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य देखते हैं। इसीलिए "सरपंच पति" और "प्रॉक्सी प्रतिनिधि" जैसे शब्द अत्यंत प्रचलित हो गए हैं। अनेक महिला प्रतिनिधि मात्र दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती हैं, जबकि वास्तविक निर्णय पुरुष सदस्य लेते हैं। साथ ही हमारी परंपरागत सामाजिक संरचनाएं कुछ इस प्रकार निर्मित हैं कि महिलाओं पर घर के सभी कार्यों, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। अक्सर महिला प्रतिनिधियों की यह गंभीर शिकायत रहती है कि घर चलाने, गृहस्थी संभालने के साथ–साथ राजनैतिक भागीदारी और सार्वजनिक जिम्मेदारी निभाने में अत्यधिक कठिनाई एवं परेशानी होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 81 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधि स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से निर्णय नहीं लेती हैं, पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार वास्तविक नियंत्रण रखते हैं। पितृसत्तात्मक मानदंड, गतिशीलता पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों पर जाने में बाधाएं और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक बाधाएं महिलाओं के प्रभावशाली नेतृत्व में गंभीर बाधा डालती हैं। आर्थिक निर्भरता भी अत्यंत गंभीर समस्या है, जिसमें लगभग 96 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पुरुष परिवार के सदस्यों पर आर्थिक रूप से पूर्णतः निर्भर हैं। यह आर्थिक निर्भरता उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करती है।

निष्कर्ष एवं उपसंहार

भारतीय गणराज्य के सामाजिक–आर्थिक सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण महिला नेतृत्व का विकास अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत् एवं संतुलित विकास, पारदर्शी, जवाबदेह तथा उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए अपरिहार्य है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं पुरुषों की समान, न्यायसंगत एवं प्रभावशाली भागीदारी ग्रामीण समाज एवं देश के संतुलित विकास को बढ़ावा देगी, जिससे अंततः भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ता, मजबूती और वैधता मिलेगी। अजमेर जिले के विशिष्ट संदर्भ में देखें तो 2020 के पंचायती राज चुनावों में अजमेर जिला परिषद में कुल 31 सदस्यों में से 18 महिला सदस्य (58.06 प्रतिशत) निर्वाचित हुईं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण से भी 8 प्रतिशत अधिक है, और 11 पंचायत समितियों में से 6 (54.55 प्रतिशत) में महिला प्रधान हैं। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र (PTC) अजमेर की उपस्थिति महिला जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि, पितृसत्तात्मक मानसिकता, शिक्षा का अभाव, प्रॉक्सी भागीदारी, आर्थिक निर्भरता, जातीय गुटबंदी और घूंघट प्रथा जैसी चुनौतियां अभी भी गंभीर रूप से विद्यमान हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि 81 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पातीं और 96 प्रतिशत आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। भिनाय, सरवाड़ और केकड़ी तहसीलों में महिला साक्षरता अत्यंत कम है और लैंगिक साक्षरता अंतर 0.650 से अधिक है। अजमेर जिले में महिला जनप्रतिनिधियों की सक्रिय, स्वतंत्र और प्रभावशाली सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रसार, नियमित और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक जागरूकता, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन पर समग्र, बहुआयामी और सतत दृष्टिकोण अपनाना होगा। तभी स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का वास्तविक,

गुणात्मक और टिकाऊ सशक्तिकरण संभव हो सकेगा और अजमेर जिला महिला नेतृत्व विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय का एक आदर्श, प्रेरणादायक उदाहरण बन सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सैनी, सरिता, "ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिताः जयपुर जिले के विशेष संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन", अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, 2023, खंड 5(अंक 1): पृष्ठ 323–327
2. राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, सांख्यिकी रिपोर्ट, 2020
3. महेश्वरी, श्रीराम, "लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया", लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 1971
4. मनुस्मृति (संस्कृत ग्रंथ)
5. महिपाल, "पंचायती राजः चुनौतियां एवं संभावनाएं", नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2011
6. अंजु, "पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण", अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त शोध पत्रिका, 2015
7. "पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण", अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, 2020
8. चौहान, भीम सिंह, "राजस्थान के पंचायती राज में महिलाओं का योगदान", अरिहंत प्रकाशन, जयपुर
9. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
10. भारतीय संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992
11. भारतीय संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992
12. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2024–2025
13. राजस्थान पर्यावरण विभाग, "पंचायत संरचना रिपोर्ट", 2025
14. "भाजपा ने अजमेर जिला परिषद एवं 9 पंचायत समितियों पर किया कब्जा", टाइम्स ऑफ इंडिया, 8 दिसंबर 2020
15. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), "राजस्थान पंचायती राज पर रिपोर्ट", 2021
16. ई–ग्रामस्वराज पोर्टल, राजस्थान राज्य डेटा, 2024–2025
17. राजस्थान जन आधार विभाग, "ब्लॉक कार्यालय संपर्क सूची", अजमेर
18. भारत की जनगणना, 2011, "जिला जनगणना पुस्तिका – अजमेर", राजस्थान
19. राजस्थान शिक्षा विभाग, "जिलेवार साक्षरता दर रिपोर्ट", 2024
20. शर्मा, के.के., "अजमेर जिले में साक्षरता के स्थानिक पैटर्न का अध्ययन", अंतरराष्ट्रीय विकास अनुसंधान पत्रिका, 2023
21. राजस्थान महिला सशक्तिकरण निदेशालय, "लैंगिक हिंसा प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट", सितंबर 2025
22. ग्राम समाज विकास संस्था (जीएमवीएस), "महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम रिपोर्ट", अजमेर
23. राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान (आरएसकेएस), "अजमेर की साहसी महिलाओं की कहानियां", 2024
24. वेबपल्स फाउंडेशन, "अजमेर में महिला सशक्तिकरण की पहलें", 2024
25. पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) अजमेर, "प्रशिक्षण रिपोर्ट 1999–2025"
26. राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, "पंचायत प्रबंधन रिपोर्ट", 2025
27. राजस्थान राज्य वित्त आयोग (छठा), रिपोर्ट 2020–2025
28. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, "सशक्त पंचायत–नेत्री अभियान" दिशानिर्देश, 2024
29. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), "पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर अध्ययन", 2024
30. डॉ. भीमराव अम्बेडकर, "महिला और लोकतंत्र", भारतीय ग्रंथ निकेतन, नई दिल्ली